रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 1974/ चैत्र 9, 1896

No. 74] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 1974/CHAITRA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March 1974

No. RS.1/2/74-L.—The following order by the President, dated the 29th March, 1974, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, the 22nd April, 1974, at New Delhi.

The 29th March, 1974.

V. V. GIRI.
President."

B. N. BANERJEE,
Secretary-General.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1974

सं० आर० एस० 1/2/74—एल०—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश दिनांक 29 मार्च, 1974, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 22 अप्रैल, 1974 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिये आमंत्रित करता हूं।

29 मार्च, 1974

वी० वी० गिरि

राष्ट्रपति।"

बी० एन० बनर्जी,

महासचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974